भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतरांकित प्रश्न संख्या 1934
गुरुवार, 14 दिसंबर, 2023 / 23 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सबेया धावन पट्टी

1934 डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या बिहार में सबेया (हथुआ) धावन पट्टी उड़ान दस्तावेज में अप्रयुक्त विमानपत्तनों की सूची में है और कोई भी एयरलाइन प्रचालक किसी विशेष मार्ग पर प्रचालन की व्यवहार्यता का आकलन नहीं करता है और इस योजना के अंतर्गत बोली लगाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने सबेया (हथुआ) विमानपत्तन से आरसीएस उड़ानों के प्रचालन हेतु प्रस्तावों को निविदा में प्रस्तुत करने के लिए एयरलाइन बोलीदाताओं से संपर्क नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उड़ान योजना के प्रावधानों के अनुसार सबेया (हथुआ) विमानपत्तन को बोली लगाने के लिए सम्मिलित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) भविष्य में आरसीएस उड़ानों के प्रचालन के लिए सबेया धावन पट्टी को जोड़ने के लिए वैध बोली प्रस्तुत करने हेतु एयरलाइनों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (घ): सबेया (हथुआ) हवाईपट्टी का नाम उड़ान दस्तावेज़ में अपरिचालित हवाईअड्डों की सूची में उपलब्ध है। उड़ान योजना के तहत, बोली के पाँच दौर पूरे होने पर, किसी भी एयरलाइन ने सबेया हवाईपट्टी को आरसीएस मार्ग के साथ जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

उड़ान मांग पर आधारित योजना है, जिसमें एयरलाइन प्रचालक किसी मार्ग विशेष पर प्रचालन की व्यवहार्यता का आकलन करते हैं और समय-समय पर योजना के तहत बोली लगाते हैं।

उड़ान योजना के तहत, छोटे विमानों (20 या उससे कम सीटों वाले विमान) के लिए उड़ान 5.2 चरण प्रगति पर है। यदि कोई एयरलाइन, सबेया हवाईअड्डे को जोड़ते हुए आरसीएस उड़ानों के प्रचालन हेतु वैध बोली प्रस्तुत करती है, तो उस पर उड़ान योजना के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

*****